Present:- M.P.Yadava, Addl.S.J-IX, Katihar, Court No-10,
B.P.No. 291/2026, Pranpur P.S. Case No.- 75/2026
Bishnu Kumar V/s State of Bihar

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद— कटिहार (बिहार)

B.P.No. 291/2026
Pranpur P.S. Case No.- 75/2026

1. बिष्णु कुमार पिता स्व0 रंजित ऋषि, उ0त0 20 वर्ष,
निवासी सा0 ग्रामः— जुनिया, थाना— प्राणपुर,
जिला— कटिहार ....आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार ....अभियोजन।

अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0 स0 लो0 अभि0 श्री सरदार यशवंत सिंह।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री..मो0 रउफ मंसूरी।

उपस्थितिः— महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

Date 16-05-2026

आदेश

1. प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन दिनांक 03.03.26 से काराधीन उपरोक्त अभियुक्त की ओर से दिनांक 13.03.26 को विद्वान अधिवक्ता मो0 रउफ मंसूरी द्वारा सशपथपत्र नवीन वकालतनामा के साथ दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह को प्राप्त करायी गयी है।

2. अभियोजन का संक्षिप्त केस यह है कि सूचक सूर्य नारायण उरांव द्वारा थानाध्यक्ष प्राणपुर को एक टंकित आवेदन देते हुए कथन किया है कि दिनांक 03.03.2026 को समय 9:45 बजे दिवा गस्ती एवं वाहन जांच करने हेतु पुलिस बल के साथ प्रस्थान किया। कमल चौक पहुंचकर वाहन जांच करना प्रारंभ किया। जांच के क्रम में बस्तौल के तरफ से एक तेज रफतार से आ रहे काले रंग का पलसर मोटरसाईकिल पर दो लोग सवार थे। वाहन चेकिंग को देखकर मोटरसाईकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति कूदकर भाग गया तथा मोटाईकिल चालक को संदेह के आधार पर अपनी निगरानी में लेते हुए नाम एवं पता पछा तो वह अपना नाम विष्णु कुमार, मो0 फतेह बताया। पुलिस कार्रवाई को देखकर आसपास भीड़ जमा हो गया, जिसमें से स्वतंत्र साक्षी बनने हेतु अनुरोध किया, अनुरोध के आधार पर अनिष प्रताप सिंह, पे0 तेजवीर सिंह, मनीष कुमार शर्मा के समक्ष अपने तथा अपने बल की तलाशी देते हए ई—साक्ष्य पोर्टल पर विडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी करते हुए निगरानी में लिये व्यक्ति के मोटरसाईकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 BR 39AQ 0450 के संबंध में पूछताछ तथा कागजात की मांग किये तो इनके द्वारा कोई भी कागजात नहीं उपलब्ध कराया गया। कड़ाई से पूछने पर बताया कि दिनांक 02.03.2026 के रात्रि में ये तथा इनके साथी मो0 फतेह मिलकर नवादा मिलकी टोला, डंडखोरा से उक्त मोटरसाईकिल चोरी करके लाये थे तथा इस समय मोटरसाईकिल बेचने बंगाल जा रहे थे कि कमल चौक पर वाहन चेकिंग के क्रम में पुलिस के द्वारा पकड़े गये। उक्त मोटरसाईकिल को विधिवत जब्तीसूची बनाते हुए जब्त किया। जब्तीसूची पर दोनों स्वतंत्र साक्षी स्वेच्छा से हस्ताक्षर किये। जब्ती सूची की एक प्रति निगरानी में लिये व्यक्ति को हस्तगत कराते हुए हस्ताक्षर लिया तथा नगरानी में लिये व्यक्ति को अपराध का बोध कराते हुए गिरफतारी ज्ञाप बनाकर गिरफ्तार किया।

3. नियमित जमानत के बिन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता मो0 रउफ मंसूरी एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह को सुना।

4. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक द्वारा यह नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक के द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई जमानत आवेदन विद्वान सत्र न्यायालय, कटिहार अथवा मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 03.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक को इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के कब्जे से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। आवेदक को तथाकथित मोटरसाईकिल के विषय में कोई जानकारी नहीं है तथा वह मो फतेह के कहने पर उसके मोटरसाईकिल पर बैठ गया तथा पुलिस जब वाहन चेकिंग कर रहा था तो वह मोटरसाईकिल छोड़कर भाग गया तथा आवेदक

Web copy of court katihar

पका गया। आवेदक स्थानीय व्यक्ति है तथा उसके फरार होने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तो का पालन करने के लिए तैयार है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाये।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक कटिहार सरदार यशवंत सिंह द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक के विरूद्ध गंभीर प्रकृति का आरोप लगाया गया है, जिसके लिए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि सूचक सूर्य नारायण उरांव पु0अ0नि0 के टंकित आवेदन के आधार पर आवेदक के विरूद्ध प्राणपुर थाना कांड संख्या– 75/2026 दिनांक 03.03.2026 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 317(5) के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरान्त आवेदक के वरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 28.04.2026 को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 317(5), 303(2) के अन्तर्गत आरोपित करते हुए समर्पित किया गया है। न्यायालय में समर्पित आरोप पत्र के आधार पर दिनांक 02.05.2026 को आवेदक के विरूद्ध आरोपित धाराओं में विद्वान प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया है। आरोप पत्र के सभी साक्षी पुलिस बल के सदस्य हैं, जिसे मामले के साक्ष्य अथवा साक्षियों को प्रभावित किये जाने की कोई आशंका नहीं है। कांड दैनिकी के कंडिका 25 से विदित है कि चक्रा ऐप के माध्यम से पता किये जाने पर आवेदक के विरूद्ध कोई अन्य टिप्पणी अंकित नहीं पाया गया है, परन्तु आवेदक के स्वीकारोक्ति बयान के अनुसार उसके विरूद्ध एक अन्य मामला प्राणपुर थाना कांड संख्या– 74/2026 दिनांक 02.03.2026 अन्तर्गत धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता दर्ज होने की बात स्वीकार किया गया है। आवेदक दिनांक 03.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

7. इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचन तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक के न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को देखते हुए उसे जमानत पर मुक्त किये जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है, तद्नुसार आवेदक बिष्णु कुमार के द्वारा दाखिल जमानत आवेदन दिनांक 13.03.2026 को विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर मो0 10,000/– रूपये तथा समान राशि के दो प्रतिभू का बंधपत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 480(3) में वर्णित उपबंधों के पालन के वचन पत्र के साथ दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1.आवेदक मामले में आरोप गठन के बाद बंधपत्र दाखिल करेगा।

2.आवेदक के एक जमानतदार उसके माता–पिता अथवा परिवार के सदस्य होंगे।

3.आवेदक इस आशय का शपथपत्र/अंडरटेकिंग दाखिल करेगा कि वह मामले के विचारण में सहयोग करेगा

4.आवेदक के बिना पर्याप्त कारण के लगातार तीन तिथियों तक सदेह न्यायालय में उपस्थित नहीं पाये जाने पर उसका बंधपत्र खंडित कर दिया जायेगा।

कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को भेजें तथा अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

Date of order	16-05-2026
Date of Reserving order	16-05-2026
Date of Uploading	16-05-2026
Uploaded by	

Web copy of civil court, Katihar